

सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास जमा लगाई जाने वाली है। इसका उपयोग अधिकारी को प्राप्त रसीद/लेटर सहित में जानकारी देने के लिए किया जाता है। अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के लिए नियम 3 के अनुसार इसका विषय यह आवेदन के प्राप्त होने पर, राज्य लोक सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के दिनांक 28 अक्टूबर, 2005

संख्या 5/4/2002-1 एआर — सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005(2005 का केंद्रीय अधिनियम 22) की धारा 27 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, उसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :-

1. (1) ये नियम हरियाणा सूचना अधिकार नियम, 2005 कहे जा सकते हैं।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं

2. (1) इन नियमों में, जब तक न हो कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 (क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005 (2005 का केंद्रीय अधिनियम 22);
 (ख) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा सूचना आयोग;
 (ग) "प्ररूप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संगलन प्ररूप; तथा
 (घ) "धारा" से अभिप्राय है अधिनियम की धारा।
 (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, किन्तु परिभाषित नहीं है के वही अर्थ होंगे जो इह अधिनियम में दिये गये हैं।

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन—धारा 2 (ड) 6 तथा 27.

3. (1) कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, इन नियमों के नियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट फैस के साथ राज्य लोक सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्ररूप के आवेदन करेगा।
 (2) उप-नियम (1) के अधीन मिल गए आदेवन के प्राप्त होने पर, राज्य सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, आवेदक को इसके टोकन की रसीद देगा।

फीस जमा करना/धारा-6

4. प्रत्येक (1) फीस उद्धित रसीद सहित नगदी में या खजाना चालान द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास जमा करवाई जाएगी।
- (2) फीस की राशि सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को प्राप्ति रसीद/लेखा संख्या में जमा करवाई जाएगी।
- (3) नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन के प्राप्त होने पर, राज्य लोक सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी आवेदन की समीक्षा करेंगा तथा निर्धारित करेंगा कि फीस सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा संधि की जानी अपेक्षित है।
- (4) उप-नियम (3) के अधीन निर्धारित फीस आवेदन की प्राप्ति से सात दिनों की अवधि के भीतर प्ररूप "ख" में राज्य लोक सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचित की जाएगी।
- (5) यदि आवेदक उप-नियम (4) के अधीन उसको दी गई सूचना के जारी होने के बाद पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर अपेक्षित फीस जमा करवाने में असफल रहता है, तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि आवेदक चाही गई सूचना प्राप्त करने में दिलचस्पी नहीं रखता है, और उसका आवेदन फाइल कर दिया गया समझा जाएगा।

फीस की प्रमाणाधारा 6 तथा 7

5. (1) धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन कोई सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ 50/- रुपये की फीस संलग्न की जाएगी।
- (2) धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध करवाने के लिए, आवेदक से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थात्:-
- (क) ए-4 या ए-3 आकार के कागज पर बनाई गई या प्रतिलिपि के प्रत्येक पृष्ठ के लिए 10/- रु. ; तथा
- (ख) यदि सूचना खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न बड़े आकार के कागज पर उपलब्ध करवाई जाती है, तो ऐसे कागज की वास्तविक लागत/कीमत प्रभारित की जाएगी।
- (1) (3) धारा 7 की उप-धारा (5) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदक से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थात्:-
- (क) फ्लोपी में सूचना प्राप्त करने के लिए 50/- रुपये ;
- (ख) डिस्किट में सूचना प्राप्त करने के लिए 100/- रुपये ; तथा
- (ग) यदि चाही गई सूचना वैसे स्वरूप की है, जो कि मुद्रित दस्तावेज में है, जिसका मूल्य नियत किया गया है, तब वह सूचना उस मुद्रित दस्तावेज के लिए नियत मूल्य प्रभारित करने के बाद उपलब्ध कराई जाएगी। तथापि, यदि, केवल ऐसे मुद्रित दस्तावेज का उद्धरण या पृष्ठ मांगा गया है, तब 10/-रुपये प्रति पृष्ठ की फीस प्रभारित की जाएगी।
- (4) अभिलेख के निरीक्षण के लिए कोई भी फीस प्रभारित नहीं की जाएगी यदि ऐसा निरीक्षण केवल एक घण्टे के लिए किया गया है। तथापि, यदि निरीक्षण एक घण्टे से अधिक की अवधि के लिए किया गया है तब प्रथम घण्टे से

अधिक प्रत्येक पन्द्रह मिनट के लिए 10/- रुपये की फीस प्रभारित की जाएगी। उपरोक्त पन्द्रह मिनट की अवधि का प्रत्येक अंश पन्द्रह मिनट की पूर्ण अवधि के रूप में अनुमानित किया जाएगा तथा यह पन्द्रह मिनट की संपूर्ण अवधि के रूप में प्रभारित किया जाएगा।

अपील विनिश्चय करने में अप्नाई जाने वाली प्रक्रिया अपील धारा 19 (10)

6. अपील का निश्चय करने से पूर्व आयोग; —
 - (क) सम्बद्ध व्यक्तियों को नोटिस तामील करेगा;
 - (ख) अपील के सर्वथन में कोई साक्ष्य लेगा, जो सम्बद्ध व्यक्तियों से मौखिक या लिखित रूप में लिया जा सकता है।
 - (ग) सम्बद्ध व्यक्तियों से शपथ पर या शपथ पत्र लेते हुये निरीक्षण करेगा;
 - (घ) दस्तावेजों या किन्हीं अभिलेखों या उनकी प्रतियों को पेश करेगा या निरीक्षण करेगा;
 - (ङ) किसी अपील के तथ्यों को प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जांच करेगा या विस्तार में तथ्यों की अपेक्षा करेगा यदि ऐसा समुचित प्रतीत हो, राज्य लोक सूचना अधिकारी या किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी जिसने प्रथम अपील का निर्णय किया था जैसी भी स्थिति हो, की सुनवाई करेगा; तथा
 - (च) राज्य लोक सूचना अधिकारी या किसी वरिष्ठ अधिकारी, जिसने प्रथम अपील का निर्णय किया था या कोई अन्य व्यक्ति जिससे साक्ष्य आवश्यक समझा जाए, से शपथ—पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करेगा।

नोटिस के तामील का ढंग धारा 19 (10)

7. आयोग सम्बद्ध व्यक्तियों को निम्नलिखित ढंगों में से किसी एक में नोटिस तामील कर सकता है, अर्थात् :-

- (क) व्यक्तिगत रूप से (दस्ती) वितरक प्रतिक्रिया के माध्यम से; या
- (ख) देय पावती सहित रजिस्टर्ड डाक द्वारा; या
- (ग) समाचार— पत्र में प्रकाशन द्वारा।

आयोग द्वारा आदेश धारा 19 (10)

8. (1) आयोग लिखित में आदेश करेगा तथा सम्बद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में उसकी उद्घोषणा करेगा।
- (2) सम्बद्ध पक्षकार, आयोग से, आदेश की प्रति प्राप्त कर सकता है।

**प्ररूप क
[देखिये नियम 3(1)]**

सेवा में

राज्य लोक सूचना अधिकारी,
राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी,
(पता सहित कार्यालय का नाम)

- 1) आवेदक का पूरा नाम
- 2) पता
- 3) सूचना के अपेक्षित ब्यौरे :-
 - i) सूचना की विषय-वस्तु
 - ii) अवधि जिससे सूचना सम्बन्धित है
 - iii) अपेक्षित सूचना का वर्णन
 - iv) क्या सूचना डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप में अपेक्षित है (वास्तविक डाक प्रभार अतिरिक्त फीस में शामिल होंगे !)
 - v) डाक की दशा में (सामान्य, रजिस्ट्रड या स्पीड)

स्थान: करवाई जाएगी।

तिथि :

आवेदक के हस्ताक्षर

- * निर्देशित किये जाने वाले विषय का विस्तृत प्रवर्ग (जैसे कि अनुदान/सरकारी भूमि/सेवा नामलें/अनुज्ञापत्रियाँ इत्यादि)
- ** सम्बद्ध अवधि जिसके लिए सूचना निर्देशित की जाने अपेक्षित हैं।
- *** सूचना के विशिष्ट विवरण निर्देशित किये जाने अपेक्षित हैं।

पावती

आपका आवेदन दिनांक _____ डायरी संख्या _____
दिनांक _____ द्वारा प्राप्त हुआ।

(हस्ताक्षर)
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी

विभाग/कार्यालय का नाम _____

[देखिये नियम 4 (4)]

प्रेषक

राज्य लोक सूचना अधिकारी,
राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी,
(विभाग / कार्यालय का नाम)

सेवा में

आवेदक का नाम तथा पता ।

Notification

महोदय,

The 25th July, 2006

कृपया आपके आवेदन दिनांक _____ जो निम्न हस्ताक्षरित को सम्बोधित करते हुए _____ सूचना के निवेदन के संदर्भ में। आपको इस सूचना देने के लिए अतिरिक्त फीस _____ रुपये है।

2. आपको इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि आप इस कार्यालय में नगदी या चालान के माध्यम से सरकारी खजाने में फीस का भुगतान करें तथा चालान की प्रति पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर इस कार्यालय को भेजें तथा _____ को सूचना एकत्रित करें।

3. फीस की राशि प्राप्ति शीर्ष/खाता संख्या (सम्बद्ध विभाग द्वारा आवेदक को सूचित की जाए) में जमा करवाई जाएगी।

2. In the Haryana Right to Information Rules, 2006, in rule 4, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

राज्य लोक सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी,

(vii) The fee shall be deposited with the State Public Information Officer/State Assistant Public Information Officer either against proper receipt or by cash or by bank draft or through Postal Order or Bank Draft.

एसओसी० चौधरी,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
प्रशासकीय सुधार विभाग।

PROMPTLY
Chief Secretary to Government of Haryana
Administrative Reforms Department

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Notification

The 25th July, 2006

No.5/4/2002-IAR – In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 27 of the Right to Information Act, 2005 (Central Act 22 of 2005), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Right to Information Rules, 2005, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Right to Information (Amendment) Rules, 2006.
2. In the Haryana Right to Information Rules, 2005, in rule 4, for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The fee shall be deposited with the State Public Information Officer/State Assistant Public Information Officer either in cash against proper receipt or by treasury challan or through Indian Postal Order or Bank Draft."

PREM PRASHANT,

Chief Secretary to Government Haryana,
Administrative Reforms Department